(120)

SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आ०सं०—04/प्रा०आ०(मकान मरम्मति/पुनर्निर्माण)—07/2026—29(आप)/आ०प्र०, राँची दिनांक—21.07.2026

प्रेषक,

विप्रा भाल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लोहरदगा, गढ़वा एवं सिमडेगा।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2026—27 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा —बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड आदि (सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 11,04,000/— (ग्यारह लाख चार हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग — विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०—47(स्वी०) दिनांक—12.06.2026

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—285/बजट, दिनांक—25.03.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026—27 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :—

बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
मुख्यशीर्ष—2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष—02—बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष—113—घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये सहायता उपशीर्ष—02— बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 43—अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड—39—S—2245—02—113—02—00—05—43	11,04,000/— (ग्यारह लाख चार हजार) रुपये मात्र।

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक—15.05.2026 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय—03(IV) के आलोक में प्रदान की जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है —

क्र०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	राशि
1	लोहरदगा	57/02.07.2026	6,00,000
2	गढ़वा	62/16.05.2026	4,96,000
3	सिमडेगा	807(ii)/09.07.2026	8,000
		कुल	**11,04,000**

21/07/2026

आ०सं०–04 / प्रा०आ०(मकान मरम्मति / पुनर्निर्माण)–07 / 2026–29 (आप)/आ०प्र०, राँची दिनांक–21.07.2026

3. उक्त आवंटित राशि से भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा – बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड आदि (सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I दिनांक–11.07.2023 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।

4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2021-NDM-I दिनांक–12.01.2022 में अंकित प्राकृतिक आपदा–Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रभावितों के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार आवंटित की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

6. संबंधित उपायुक्त भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. bill सृजित नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद–मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

8. अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित / लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

09. आवंटित राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

10. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑनलाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. (i) उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(iii) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iv) महालेखाकार से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

21/07/2026

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

13. आवंटित राशि के व्यय के क्रम में –

(i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(ii) Treasury Code, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती में वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

15. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

21/07/2026

(विप्रा भाल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–04/प्रा.आ.(मकान मरम्मति/पुनर्निर्माण)–07/2026 29 (आप)/आ०प्र०, राँची दिनांक– 21.07.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा–08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/07/2026

सरकार के सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 07/2026/29(AA) दिनांक - 21-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	45309	LDGDAD030 SANDEEP KUMAR MEENA DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं सज्जीकरण (सामग्री)	600,000.00 रुपये छः लाख
2	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	45310	GRHLDR003 VIKASH KUMAR RAI A.C.GARHWA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं सज्जीकरण (सामग्री)	496,000.00 रुपये चार लाख छियानवे हजार
3	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	45311	SDGDAD014 KANCHAN SINGH DY.COMMISSIONER, SIMDEGA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं सज्जीकरण (सामग्री)	8,000.00 रुपये आठ हजार

योग. रुपये ग्यारह लाख चार हजार 1,104,000.00

क्रमिक योग:

21/07/2026

(VIPRA BHAL)

SECRETARY

Run Date: 21/7/2026